राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प.1 (133)वन/2022 जयपुर, दिनांक :—18.08.2023

उप महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
जयपुर बी—ब्लॉक, अरण्य भवन,
झालाना, जयपुर।

विषयः—Diversion of 0.175 ha. of forest land in favour of ABC Solar (INDIA) Private Ltd. for Construction of 220 KV S/C Transmission Line on D/C towers laying between proposal ABCSIPL 300 MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220kV GSS at Near Village - Badi Sird, Tehsil-BAP, District – Jodhpur in the State of Rajasthan ((Total Length 11.540 km)

संदर्भः— ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या . FP/RJ/TRANS/153699/2022 आपके आक्षेप क्रमांक 8बी/राज/012/2023/जेपीआर दिनांक 10.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्राटेक्शन एव नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 14(Trans)2022/एफसीए/प्रमुवस/7138 दिनांक 16.08.2023 से प्रेषित बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट मय राज्य सरकार की अभिशंषा सहित प्रेषित कर, अनुरोध है कि विषयाकिंत प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक स्वीकृति जारी करवाने का श्रम करावे।

भवदीया,

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

(मोनाली सेन)

विशेषाधिकारी, वन

Signature valid
Digitally signed by Monali Sen
Designation: Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.08.18 10:47:51 IST
Reason: Approved

कार्यालय पताः— वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर,
दूरभाष संख्या— 0141—2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in
letter/GOI- 2 diversion/AJAY Document /FCA
RajKaj Ref No. : 4540636

घर-घर औषधि योजना

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ. 14(Trans)2022 / एफसीए / प्रमुवसं / 7138 दिनांक 16.08.2023

विशेषाधिकारी,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषयः–Diversion of 0.175 ha. of forest land in favour of ABC SOLAR (INDIA) PRIVATE LTD. for Construction of 220KV S/C Transmission Line on D/C towers laying between proposal ABCSIPL 300MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220 KV GSS at Near Village-Badi Sird, Tehsil-BAP, District-Jodhpur in the State of Rajasthan (Total Length 11.540km). (Proposal no. FP/RJ/TRANS/153699/2022)

सन्दर्भः–उप महानिरीक्षक / क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, गाँधीनगर, उप क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्र 8बी / राज / 012 / 2023–JPR दिनांक 10.05.2023

महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर के पत्रांक 4659 दिनांक 26.07.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव गैर वानिकी कार्य करने से पहले प्रस्तुत किये गये थे। किन्तु सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण किया गया कार्य वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लघन की श्रेणी में आता है। राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के तहत एफआईआर जारी कर प्रयोक्ता अभिकरण से 75000/– रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश 29.01.2018 के क्रम में उल्लघंन स्वरूप अधिरोपित होने वाली शास्ती का विवरण संलग्न है। अतः मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट दो प्रतियों में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः–उपर्युक्तानुसार।

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक

क्रमांकः एफ. 14(Trans)2022 / एफसीए / प्रमुवसं /

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
2. उप वन संरक्षक, जोधपुर।
3. मैनेजर एबीसी सोलर इण्डिया प्राईवेट लि0 मेड़ता हाउस पुलिस चौकी के सामने, जालोरी गेट, जोधपुर।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

क्रमांक एफ ( ) एफसीए(ई—03552) / मुवसंजो / 2023 / 4659 दिनांक 26/07/2023

निमित,

अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रोटेक्शन)
एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर

विषय : Diversion of 0.175 Ha Forest Land in favour of ABC SOLAR (INDIA) PRIVATE LTD. for Construction of 220 KV S/C Transmission Line on D/C towers laying between proposal ABCSIPL 300 MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220 KV GSS at Near Village-Badi Seed, Tehsil-BAP, District-Jodhpur in the State of Rajasthan (Total Length 11.540 km). **Proposal No.-(FP/RJ/TRANS/153699/2022)**

संदर्भ : श्रीमान का पत्रांक एफ.14(TRANS)2022 / एफसीए / प्रमुवसं / 6139 दिनांक 30—05—2023 एवं उप वन संरक्षक, जोधपुर का पत्रांक 7097 दिनांक 13.07.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के संदर्भित पत्र के संलग्न क्षेत्रीय अधिकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्रांक 8बी / राज / 012 / 2023-JPR दिनांक 10.05.2023 प्रेषित कर भारत सरकार के संदर्भित पत्र के द्वारा आलौच्य प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु यूजर एजेन्सी एवं वन विभाग के दोषी लोकसेवकों के नाम एवं अन्य सूचनाएं चाहे जाने के क्रम में संदर्भित पत्र में वांछित समस्त सूचनाएं प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया है।

उप वन संरक्षक जोधपुर द्वारा आलौच्य प्रकरण में अंकित आक्षेपों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिससे यह कार्यालय सहमत है एवं अनुपालना रिपोर्ट 3 प्रतियों में श्रीमान को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संलग्न प्रेषित है।

संलग्न — उक्तानुसार

भवदीय

(एस आर वी मूर्थी)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर
दिनांक

क्रमांक एफ ( ) एफसीए(ई—03552) / मुवसंजो / 2023 /

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. उप वन संरक्षक, जोधपुर
2. मैनेजर, एबीसी सोलर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, मेड़ता हाउस पुलिस चौकी के सामने, जालोरी गेट, जोधपुर ·

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by S R Venkateswara Murthy
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.07.26 1?:02:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4337200

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिश्नरेट के सामने, रोटरी सर्कल के पास, जोधपुर (राज.)–342001 Email- dcf.jdpr.forest@rajasthan.gov.in

दिनांक: 13/07/2023

क्रमांक: एफ(143)एफसीए/उवसं/2023/ 7097

निमित्त:– श्रीमान् संभागीय मुख्य वन संरक्षक

जोधपुर

विषय:–Diversion of 0.175 ha. Forest Land for Construction of 220kV S/C Transmission line on D/C towers laying between proposed ABCSIPL 300MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220kV GSS at Near Village - Badi Sird, Tehsil-BAP, District – Jodhpur in the State of Rajasthan ((Total Length 11.540 km) **Proposal No. : FP/RJ/TRANS/ 153699/2022**

संदर्भ:–भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मुत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्र क्रमांक 8बी/राज/012/2023–जेपीआर दिनांक 10.05.2023, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर पत्रांक 6139 दिनांक 30.05.2023, इस कार्यालय पत्र क्रमांक एफ(143)एफसीए/उवसं/ 2023/5590–93 दिनांक 13.06.2023, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परिवेश पोर्टल ऑनलाइन प्रस्ताव दिनांक 11.07.2023 एवं आपका कार्यालय पत्रांक 3889 दिनांक 28.06.2023 के अनुक्रम में

महोदय,

उपर्युक्त विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र की अनुपालना मे लेख है कि उक्त आक्षेप की पालना कर प्रयोक्ता अभिकरण ऑनलाइन परिवेश पोर्टल फार्म ए पार्ट–1 पर दस्तावेज अपलोड करने के साथ ही आक्षेप की पालना की हार्डकॉपी की 4–4 प्रति इस कार्यालय को भिजवायी सुचना /पालना आप श्रीमान के अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:–

क्र.सं.	आक्षेप	पालना
1.	As the proposal involves violation of FCA, the proposal has to be processed in accordance with the guidelines issued by the Ministry vide its letter dated 22.03.2022 and 08.09.2022. Thus, the state Government is requested to provide complete details of violation if any, name and other details of the person involved including the officials from the Forest Department and the action taken so far against violation and also the erring officials if any.	उक्त बिंदु की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पत्र क्रमांक एफपी/आरजे/ट्रांस/153699/2022 दिनांक 12.07.2023 द्वारा परिवेश पार्टल फार्म ए पार्ट 1 पर ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है। पालना की 3–3 प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कर संलग्न है के साथ इस कार्यालय द्वारा पालना कर प्रपत्र आप श्रीमान के अग्रिम कार्यवाही हेतु 3–3 प्रति में सादर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अजीत उचोई)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by Ajit Uchoi
Designation: Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.07.13 13:05:38 IST
Reason: Approved

F.C.A
19/07/23

मुख्य वन संरक्षक
क्रमांक 2869
दिनांक 19/7/23
जोधपुर

RajKaj Ref No.: 4273999

ABC SOLAR (INDIA) PRIVATE LIMITED
Formerly known as TBEA Solar (India) Private Limited

Ref.: FP/RJ/TRANS/153699/2022 **Date:**12.07.2023

To
Dy. Conservator of Forest
Jodhpur Territorial
Jodhpur

Subject: Diversion of 0.175 ha of forest land in favour of ABC Solar (India) Private Ltd. For Construction of 220 KV S/C Transmission Line on D/C towers laying between proposal ABCSIPL 300 MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220KV GSS at Near Village-Badi Sird, Tehsil-BAP, District- Jodhpur in the State of Rajasthan **(Proposal No.: FP/RJ/TRANS/153699/2022)**

Reference: Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC), Integrated Regional office, A218 & B216, Aranya Bhawan, Jhalana Institutional Area, Jaipur Letter No. 8B/RAJ012/2023-JPR (920510/2023/O/o IRO (JAIPUR) dated 10th May, 2023.

Dear Sir,

With reference to above mentioned subject, we would like to inform you that we have submitted the Forest Diversion proposal for 0.175 ha. forest land for construction of 220 KV S/C Transmission Line on D/C towers laying between proposal ABCSIPL 300 MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220KV GSS at Near Village-Badi Sird, Tehsil-BAP, District- Jodhpur in the State of Rajasthan.

After examination of the said proposal by Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC), Integrated Regional office some additional details are required therefore, we are herewith submitting the point wise compliance report for your reference and necessary action please.

Sr. No.	EDS Raised	Point Wise Reply
1.	As, the proposal involves violation of FCA, the proposal has to be processed in accordance with the guidelines issued by the Ministry vide its letter dated 22.03.2022 and 08.09.2022. Thus, the State Government is requested to provide complete details of violation if any, name and other details of the person involved including the officials from the Forest department and the action taken so far against violation and also the erring officials if any.	Complete details of violation are enclosed as Annexure -I.

Place : Jodhpur
Date : 12/07/2023

ABC SOLAR (INDIA) PRIVATE LIMITED

For ABC Solar (India) Private Limited
(Authorized Signatory)

CIN: U40106TG2015PTC151041
Regd. & Corporate Office: " H No. 6-3-680/8/3, PNO-03, 2nd Floor, PMR Plaza, Thakur Mansion Lane, Somajiguda, Hyderabad - 500082
Tel.: +91 - 40 – 2341 2312/13/15 Fax : +91-40 2341 2314, email: contact@axisenergy.in

हस्ताक्षर
उप वन संरक्षक

ABC SOLAR (INDIA) PRIVATE LIMITED

Formerly known as TBEA Solar (India) Private Limited

Annexure -I

Factual Report

प्रस्ताव का नाम: Construction of 220kV S/C Transmission line on D/C towers laying between proposed ABCSIPL 300MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220kV GSS at Near Village - Badi Sird, Tehsil-BAP, District – Jodhpur in the State of Rajasthan

प्रस्ताव संख्या : FP/RJ/TRANS/153699/2022

प्रत्यावर्तन क्षेत्रफल : 0.175 हे0

ए.बी.सी. सोलर (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राजस्व ग्राम बड़ी सीड़ में 300 MW का सोलर प्लान्ट प्रस्तावित किया गया था एवं प्रस्तावित प्लान्ट से बनने वाली रिन्युएबल एनर्जी को 220 KV पारेक्षण लाईन के द्वारा पावर ग्रीड कॉरपोरेशन इण्डिया लिमिटेड (PGCIL) के 765 / 400 / 220 K.V. GSS में पहुचानें हेतू लाईन प्रस्तावित की गई थी।

प्रस्तावित 220 KV पारेक्षण लाईन के कार्य करने के दौरान यह संज्ञान में आया कि प्रस्तावित मार्ग पावर ग्रीड कॉरपोरेशन इण्डिया लिमिटेड एवं प्रस्तावित 300 MW सोलर प्लान्ट के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-11) गुजर रहा है एवं उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ ROW की भूमि रक्षित वन क्षेत्र घोषित किया हुआ है। अतः प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा तत्काल वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव जरिये प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/153699/2022 दिनांक 23.03.2022 को परिवेश 1.0 पर अपलोड कर दिया गया।

वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रेषित करने के उपरान्त उप वन संरक्षक महोदय, जोधपुर द्वारा प्रत्यार्वन की हार्ड प्रतिलिपी प्रेषित करने के लिए दिनांक 20.04.2022 को निर्देशित किया गया था एवं उक्त निर्देशों की पालना में दिनांक 25.04.2022 को प्रस्ताव की हार्ड प्रतिलिपी जमा करवा दी गयी थी।

कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा यह संज्ञान कर लिया गया कि हार्ड प्रति उप वन संरक्षक को जमा कराने के उपरान्त कार्य किया जा सकता है। प्रतिलिपि जमा करने के उपरान्त समय की पाबन्दी की कारण कार्य शुरू कर दिया इस अनुमान के साथ की यह एक डीम्ड प्रक्रिया है। जो अज्ञानवर्ष एवं भूलवश किया गया एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनो तरफ गैर वन भूमि में निर्मित विद्युत टावरों के ऊपर तार खीचने का कार्य लोकहित में सम्पादित कर दिया गया।

चूंकि राजस्थान राज्य में उस दौरान विधुत की बहुत कमी चल रही थी एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के रेगुलर मोनीटरिंग के कारण उक्त कार्य समय पर सम्पादित किया जाना था तथा कम्पनी की प्रोजेक्ट

CIN: U40106TG2015PTC151041
Regd. & Corporate Office: " H No. 6-3-680/8/3, PNO-03, 2nd Floor, PMR Plaza, Thakur Mansion Lane, Somajiguda, Hyderabad - 500082
Tel.: +91 - 40 – 2341 2312/13/15 Fax : +91-40 2341 2314, email: contact@axisenergy.in

कमीशनिंग की तारीख 2 जून 2022 थी अतः अज्ञानवर्ष वन भूमि पर बिना स्वीकृति के गैर वानिकी कार्य सम्पादित हो गया है।

तत्पश्चात् वन विभाग द्वारा उक्त भूमि पर एयर मार्किंग की प्रक्रिया पूर्ण की गयी जिसके उपरांत दिनांक 28.5.2022 को क्षेत्रीय वन अधिकारी बाप द्वारा राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अंतर्गत एफ.आई.आर. जारी की गयी। उप वन संरक्षक के दिनांक 7.6.2022 को स्थल निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उक्त प्रस्तावित गैर वन भूमि में बिना सक्षम स्वीकृति पारेषण लाईन खींचा जाना वन संरक्षण अधिनियम का उलंघन होना पाया गया है।

राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत जारी एफ. आई. आर. का शमन दिनांक 06.06.2022 को जरिये रसीद संख्या 17 / 58 दिनांक 6.6.2022 राशि 75000/- से करा दिया गया है। अधीनस्थ साइट इंचार्ज को भविष्य में बिना स्वीकृति कार्य नही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

यूजर कम्पनी द्वारा उक्त उलंघन जानबूझ कर नही किया गया है अपितु लोक हित कार्य को मद्दे नजर रखते हुए अज्ञानवर्ष हो गया है। वन संरक्षण अधिनियम या अन्य नियम में कोई उल्लधन स्वरूप जो भी राशी राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा अधिरोपित की जावेगी उक्त धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करवा दी जावेगी।

अतः इस क्रम में निवेदन है कि उक्त पारेषण लाईन में कोई वृक्ष का पातन नही किया गया है। एवं जनहित कार्य को मद्दे नजर रखते हुए उक्त प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

(ABC SOLAR (INDIA) PRIVATE LIMITED)

संजय राजपुरोहित
ए.बी.सी. सोलर (इण्डिया) प्रा. लि.
जोधपुर

उप वन संरक्षक
जोधपुर

ABC SOLAR (INDIA) PRIVATE LIMITED

Formerly known as TBEA Solar (India) Private Limited

Full Title of the Project: Construction of 220kV S/C Transmission line on D/C towers laying between proposed ABCSIPL 300MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220kV GSS at Near Village - Badi Sird, Tehsil-BAP, District – Jodhpur in the State of Rajasthan.

Proposal No. : FP/R J/TRANS/153699/2022

Date of Proposal : 23/03/2022

Applied Forest Area : 0.1750 hectare

भविष्य में बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के वन भूमि में गैर वनिकी कार्य ना करने के संबंध में वचनवद्धता प्रमाण पत्र

मैं मैसर्स ए.बी.सी. सोलर (इंडिया) प्रा. लि. शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि भविष्य में फर्म द्वारा वन भूमि में बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई भी गैर वानिकी कार्य नहीं किया जायेगा इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं भविष्य में इस तरह के केस की पुनरावर्ती ना हो इसको सुनिश्चित किया जाएगा।

ABC SOLAR (INDIA) PRIVATE LIMITED

Place: Jodhpur

Date: 12.07.2023

ABC Solar (India) Private Limited

(Authorized Signatory)

Counter signed by:-

Divisional Forests Officer

Jodhpur Forest Division

प्रतिहस्ताक्षर

उप वन संरक्षक

जोधपुर

CIN: U40106TG2015PTC151041

Regd. & Corporate Office: " H No. 6-3-680/8/3, PNO-03, 2nd Floor, PMR Plaza, Thakur Mansion Lane, Somajiguda, Hyderabad - 500082

Tel.: +91 - 40 – 2341 2312/13/15 Fax : +91-40 2341 2314, email: contact@axisenergy.in.

कार्यालय उप वन संरक्षक जोधपुर

Project Name : Diversion of 0.1750 ha. Forest Land for Construction of 220kV S/C Transmission line on D/C towers laying between proposed ABCSIPL 300MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220kV GSS at Near Village - Badi Sird, Tehsil-BAP, District – Jodhpur in the State of Rajasthan ((Total Length 11.540 km)

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/153699/2022

Category of the Project: Transmission Line

Area of forest land proposed for diversion (in ha.): 0.1750 Ha.

दिनांकः— 13.07.2023

ए.बी.सी. सोलर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली को पावर ग्रीड सब स्टेशन तक पहुचानें हेतु 220KV. पारेषण लाइन प्रस्तावित की गई थी परन्तु PGCIL ग्रीड सब स्टेशन एवं ए.बी.सी. सोलर प्लांट के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (NH–15) गुजर रहा है एवं राजमार्ग का R.O.W रक्षित पट्टी घोषित किया हुआ है अतः ग्रीड सब स्टेशन एवं सोलर प्लांट के मध्य प्रस्तावित लाइन बिना राष्ट्रीय राजमार्ग को क्रॉस किये परियोजना का कार्य प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा पूर्ण नहीं किया जा सकता है।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैर वन भूमि में विद्युत पोलों/टावरों का निर्माण किया जा रहा था एवं प्रचलित राष्ट्रीय राजमार्ग को दोनों तरफ गैर वन भूमि में भी कम्पनी द्वारा टावरों का निर्माण कर दिया गया था एवं स्टाफ द्वारा कम्पनी के प्रतिनिधि को अवगत करवा दिया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ़ के पोल/टावर पर विद्युत तार वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रेषित कर स्वीकृति के उपरान्त ही किया जा सकता है अतः इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव दिनांक 26.03.2023 को परिवेश पोर्टल पर जरिये प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/153699/2022 के आवेदन कर दिया गया था।

उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रेषित करने के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 25.04.2022 को हार्ड प्रतिलिपी भी कार्यालय में प्रेषित कर दी गयी थी एवं इसी दौरान कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा 27.04.2022 को राष्ट्रीय राजमार्ग (NH–15) के दोनों तरफ गैर वन भूमि में स्थित टावरों पर तार खींचने का कार्य कर दिया गया।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव, गैर वानिकी कार्य करने से पहले प्रेषित कर दिये गये थे परन्तु प्रेषित प्रस्ताव में सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी अतः उक्त कार्य वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

Signature valid
Digitally signed by Ajit Uchoi
Designation: Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.07.13 13:05:38 IST
Reason: Approved

कृ.पृ.उ.

उप वन संरक्षक
जोधपुर

RajKaj Ref No. : 4273909

दिनांक 28.05.2022 को वनपाल द्वारा अवगत करवाने के उपरान्त क्षेत्रीय वन अधिकारी बाप द्वारा उक्त कार्य को वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन मानने के कारण राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत एफ.आई.आर. जारी की गयी एवं प्रयोक्ता अभिकरण को समन करवाया गया तथा उल्लंघन/जुर्माना राशि अक्षरे 75,000/— प्रयोक्ता अभिकरण से वसूली गयीं।

चूंकि स्टाफ के द्वारा लाइन निर्माण कार्य करने के तुरंत बाद ही एफ.आई.आर काटी गयी थी एवं उच्च कार्यालय को भी इस संदर्भ में अवगत करवा दिया गया था इसलिए प्रथम दृष्टया स्टाफ दोषी प्रतीत नहीं होता है परन्तु स्टाफ को भविष्य में सजग रहने एवं इस तरह के कार्य की भविष्य में पुनरावर्ती ना हो इस सन्दर्भ में क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाप को निर्देशित किया गया है।

प्रस्तावित परियोजना लोकहित से जुडी हुई है एवं वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में कोई भी वृक्ष बाधित नहीं हुआ एवं उक्त कार्य प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल नियमों की जानकारी के अभाव में लोकहित में सम्पादित कर दिया गया है अतः लोकहित को मध्य नजर रखते हुए स्वीकृति की अनुशंषा इन शर्तो के साथ की जाती है कि :—

1. राजस्थान सरकार/भारत सरकार द्वारा उल्लंघन स्वरूप जो भी शर्ते/राशि अधिरोपित की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी शर्तो की पालना करनी होगी एवं अधिरोपित राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वहन की जावेगी।

2. भविष्य में इस तरह के गैर वानिकी कार्य की पुनरावर्ती ना हो इस आशय का प्रयोक्ता अभिकरण पृथक से वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

भवदीय

(अजीत उचोई)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Ajit Uchoi
Designation: Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.07.13 13:05:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4273909

कार्यालय उप वन संरक्षक जोधपुर

क्रमांकः– दिनांकः– 13.07.2023

प्रस्ताव का विवरण : **"Diversion of 0.1750 ha. forest land for Construction of 220 kV S/C Transmission line on D/C towers laying between proposed ABCSIPL 300 MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220kV GSS at Near Village - Badi Sird, Tehsil-BAP, District – Jodhpur in the State of Rajasthan".**

प्रस्ताव संख्या : FP/RJ/TRANS/153699/2022

प्रस्ताव दिनांक : 23/03/2022

प्रस्तावित क्षेत्रफल : 0.1750 hectare

उल्लंघन स्वरूप अधिरोपित होने वाली शाष्ती का विवरण

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव 0.1750 हैक्टेयर के लिए प्रेषित किया गया है एवं सम्पूर्ण आवेदित वन क्षेत्रफल ही उल्लंघन की श्रेणी में आता है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करने पर उल्लंघित दिनांक से उल्लंघित क्षेत्र की एन.पी.वी. राशि प्रतिवर्ष की दर से अधिक 5 वर्षों तक मय 12 प्रतिशत ब्याज के साथ देय होगी।

अधिरोपित शास्ति का विवरण निम्नलिखित है:–

उल्लंघन अवधि– 1 वर्ष 2 महीना

उल्लंघन क्षेत्रफल– 0.175 हैक्टेयर

एन.पी.वी. धनराशि– 6,70,140/–

प्रस्तावित शास्ति– 2,34,549 /- (0.175 x 2x670140)

नोट :– प्रस्तावित शास्ति के अलावा प्रयोक्ता अभिकरण को 12 प्रतिशत ब्याज भी जमा करवाना होगा जिसकी गणना सैद्धान्तिक स्वीकृति के पश्चात डिमान्ड नोट जारी करने के दौरान उपलब्ध करवा दिया जावेगा।

भवदीय

(अजीत उचोई)
उप वन संरक्षक

Signature valid
Digitally signed by Ajit Uchoi
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.07.13 13:05:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4273909

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

क्रमांक एफ ( ) एफसीए(ई–03552) / मुवसंजो / 2023 / 4659 दिनांक 26/07/2023

निमित,

अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रोटेक्शन)
एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर

विषय : Diversion of 0.175 Ha Forest Land in favour of ABC SOLAR (INDIA) PRIVATE LTD. for Construction of 220 KV S/C Transmission Line on D/C towers laying between proposal ABCSIPL 300 MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220 KV GSS at Near-Village-Badi Seed, Tehsil-BAP, District-Jodhpur in the State of Rajasthan (Total Length 11.540 km). **Proposal No.-(FP/RJ/TRANS/153699/2022)**

संदर्भ : श्रीमान का पत्रांक एफ.14(TRANS)2022 / एफसीए / प्रमुवसं / 6139 दिनांक 30–05–2023 एवं उप वन संरक्षक, जोधपुर का पत्रांक 7097 दिनांक 13.07.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के संदर्भित पत्र के संलग्न क्षेत्रीय अधिकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्रांक 8बी / राज / 012 / 2023-JPR दिनांक 10.05.2023 प्रेषित कर भारत सरकार के संदर्भित पत्र के द्वारा आलौच्य प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु यूजर एजेन्सी एवं वन विभाग के दोषी लोकसेवकों के नाम एवं अन्य सूचनाएं चाहे जाने के क्रम में संदर्भित पत्र में वांछित समस्त सूचनाएं प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया है।

उप वन संरक्षक जोधपुर द्वारा आलौच्य प्रकरण में अंकित आक्षेपों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिससे यह कार्यालय सहमत है एवं अनुपालना रिपोर्ट 3 प्रतियों में श्रीमान को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संलग्न प्रेषित है।

संलग्न – उक्तानुसार

भवदीय

(एस आर वी मूर्थी)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांक एफ ( ) एफसीए(ई–03552) / मुवसंजो / 2023 / दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उप वन संरक्षक, जोधपुर
2. मैनेजर, एबीसी सोलर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, मेड़ता हाउस पुलिस चौकी के सामने, जालोरी गेट, जोधपुर

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by S R Venkateswara Murthy
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.07.26 16:02:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4337200

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिश्नरेट के सामने, रोटरी सर्कल के पास, जोधपुर (राज.)–342001 Email- dcf.jdpr.forest@rajasthan.gov.in

दिनांकः 13/07/2023

कमांकः एफ(143)एफसीए/उवसं/2023/ 7097

निमित्तः– श्रीमान् संभागीय मुख्य वन संरक्षक

जोधपुर

विषयः–Diversion of 0.175 ha. Forest Land for Construction of 220kV S/C Transmission line on D/C towers laying between proposed ABCSIPL 300MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220kV GSS at Near Village - Badi Sird, Tehsil-BAP, District – Jodhpur in the State of Rajasthan ((Total Length 11.540 km) **Proposal No. : FP/RJ/TRANS/ 153699/2022**

संदर्भः–भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मुत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्र क्रमांक 8बी/राज/012/2023–जेपीआर दिनांक 10.05.2023, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर पत्रांक 6139 दिनांक 30.05.2023, इस कार्यालय पत्र क्रमांक एफ(143)एफसीए/उवसं/ 2023/5590–93 दिनांक 13.06.2023, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परिवेश पोर्टल ऑनलाइन प्रस्ताव दिनांक 11.07.2023 एवं आपका कार्यालय पत्रांक 3889 दिनांक 28.06.2023 के अनुक्रम में

महोदय,

उपर्युक्त विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र की अनुपालना मे लेख है कि उक्त आक्षेप की पालना कर प्रयोक्ता अभिकरण ऑनलाइन परिवेश पोर्टल फार्म ए पार्ट–1 पर दस्तावेज अपलोड करने के साथ ही आक्षेप की पालना की हार्डकॉपी की 4–4 प्रति इस कार्यालय को भिजवायी सुचना /पालना आप श्रीमान के अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:–

क्र.सं.	आक्षेप	पालना
1.	As, the proposal involves violation of FCA, the proposal has to be processed in accordance with the guidelines issued by the Ministry vide its letter dated 22.03.2022 and 08.09.2022. Thus, the state Government is requested to provide complete details of violation if any, name and other details of the person involved including the officials from the Forest Department and the action taken so far against violation and also the erring officials if any.	उक्त बिंदु की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पत्र क्रमांक एफपी/आरजे/ट्रांस/153699/2022 दिनांक 12.07.2023 द्वारा परिवेश पार्टल फार्म ए पार्ट 1 पर ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है। पालना की 3–3 प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कर संलग्न है के साथ इस कार्यालय द्वारा पालना कर प्रपत्र आप श्रीमान के अग्रिम कार्यवाही हेतु 3–3 प्रति में सादर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अजीत उचोई)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by Ajit Uchoi
Designation: Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.07.13 13:05:38 IST
Reason: Approved

F.C.A
19/07/23

मुख्य वन संरक्षक
क्रमांक 2869
दिनांक 19/7/23
जोधपुर

2

RajKaj Ref No. : 4273909

ABC SOLAR (INDIA) PRIVATE LIMITED

Formerly known as TBEA Solar (India) Private Limited

Ref.: FP/RJ/TRANS/153699/2022

Date: 12.07.2023

To

Dy. Conservator of Forest

Jodhpur Territorial

Jodhpur

Subject: Diversion of 0.175 ha of forest land in favour of ABC Solar (India) Private Ltd. For Construction of 220 KV S/C Transmission Line on D/C towers laying between proposal ABCSIPL 300 MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220KV GSS at Near Village-Badi Sird, Tehsil-BAP, District- Jodhpur in the State of Rajasthan **(Proposal No.: FP/RJ/TRANS/153699/2022)**

Reference: Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC), Integrated Regional office, A218 & B216, Aranya Bhawan, Jhalana Institutional Area, Jaipur Letter No. 8B/RAJ012/2023-JPR (920510/2023/O/o IRO (JAIPUR) dated 10th May, 2023.

Dear Sir,

With reference to above mentioned subject, we would like to inform you that we have submitted the Forest Diversion proposal for 0.175 ha. forest land for construction of 220 KV S/C Transmission Line on D/C towers laying between proposal ABCSIPL 300 MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220KV GSS at Near Village-Badi Sird, Tehsil-BAP, District- Jodhpur in the State of Rajasthan.

After examination of the said proposal by Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC), Integrated Regional office some additional details are required therefore, we are herewith submitting the point wise compliance report for your reference and necessary action please.

Sr. No.	EDS Raised	Point Wise Reply
1.	As, the proposal involves violation of FCA, the proposal has to be processed in accordance with the guidelines issued by the Ministry vide its letter dated 22.03.2022 and 08.09.2022. Thus, the State Government is requested to provide complete details of violation if any, name and other details of the person involved including the officials from the Forest department and the action taken so far against violation and also the erring officials if any.	Complete details of violation are enclosed as Annexure -I.

Place : Jodhpur

Date : 12/07/2023

For ABC Solar (India) Private Limited

(Authorized Signatory)

CIN: U40106TG2015PTC151041

Regd. & Corporate Office: " H No. 6-3-680/8/3, PNO-03, 2nd Floor, PMR Plaza, Thakur Mansion Lane, Somajiguda, Hyderabad - 500082

Tel.: +91 - 40 – 2341 2312/13/15 Fax : +91-40 2341 2314, email: contact@axisenergy.in

Annexure -I

Factual Report

प्रस्ताव का नाम: Construction of 220kV S/C Transmission line on D/C towers laying between proposed ABCSIPL 300MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220kV GSS at Near Village - Badi Sird, Tehsil-BAP, District – Jodhpur in the State of Rajasthan

प्रस्ताव संख्या : FP/RJ/TRANS/153699/2022

प्रत्यावर्तन क्षेत्रफल : 0.175 हे0

ए.बी.सी. सोलर (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राजस्व ग्राम बड़ी सीड़ में 300 MW का सोलर प्लान्ट प्रस्तावित किया गया था एवं प्रस्तावित प्लान्ट से बनने वाली रिन्युएबल एनर्जी को 220 KV पारेक्षण लाईन के द्वारा पावर ग्रीड कॉरपोरेशन इण्डिया लिमिटेड (PGCIL) के 765 / 400 / 220 K.V. GSS में पहुचानें हेतू लाईन प्रस्तावित की गई थी।

प्रस्तावित 220 KV पारेक्षण लाईन के कार्य करने के दौरान यह संज्ञान में आया कि प्रस्तावित मार्ग पावर ग्रीड कॉरपोरेशन इण्डिया लिमिटेड एवं प्रस्तावित 300 MW सोलर प्लान्ट के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-11) गुजर रहा है एवं उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ ROW की भूमि रक्षित वन क्षेत्र घोषित किया हुआ है। अतः प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा तत्काल वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव जरिये प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/153699/2022 दिनांक 23.03.2022 को परिवेश 1.0 पर अपलोड कर दिया गया।

वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रेषित करने के उपरान्त उप वन संरक्षक महोदय, जोधपुर द्वारा प्रत्यार्वन की हार्ड प्रतिलिपी प्रेषित करने के लिए दिनांक 20.04.2022 को निर्देशित किया गया था एवं उक्त निर्देशों की पालना में दिनांक 25.04.2022 को प्रस्ताव की हार्ड प्रतिलिपी जमा करवा दी गयी थी।

कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा यह संज्ञान कर लिया गया कि हार्ड प्रति उप वन संरक्षक को जमा कराने के उपरान्त कार्य किया जा सकता है। प्रतिलिपि जमा करने के उपरान्त समय की पाबन्दी की कारण कार्य शुरू कर दिया इस अनुमान के साथ की यह एक डीम्ड प्रक्रिया है। जो अज्ञानवर्ष एवं भूलवश किया गया एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनो तरफ गैर वन भूमि में निर्मित विद्युत टावरों के ऊपर तार खीचने का कार्य लोकहित में सम्पादित कर दिया गया।

चूंकि राजस्थान राज्य में उस दौरान विधुत की बहुत कमी चल रही थी एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के रेगुलर मोनीटरिंग के कारण उक्त कार्य समय पर सम्पादित किया जाना था तथा कम्पनी की प्रोजेक्ट

हस्ताक्षर

उप वन संरक्षक

जोधपुर

ABC SOLAR (INDIA) PRIVATE LIMITED

Formerly known as TBEA Solar (India) Private Limited

कमीशनिंग की तारीख 2 जून 2022 थी अतः अज्ञानवर्ष वन भूमि पर बिना स्वीकृति के गैर वानिकी कार्य सम्पादित हो गया है।

तत्पश्चात् वन विभाग द्वारा उक्त भूमि पर एयर मार्किंग की प्रक्रिया पूर्ण की गयी जिसके उपरांत दिनांक 28.5.2022 को क्षेत्रीय वन अधिकारी बाप द्वारा राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अंतर्गत एफ.आई.आर. जारी की गयी। उप वन संरक्षक के दिनांक 7.6.2022 को स्थल निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उक्त प्रस्तावित गैर वन भूमि में बिना सक्षम स्वीकृति पारेषण लाईन खींचा जाना वन संरक्षण अधिनियम का उलंघन होना पाया गया है।

राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत जारी एफ. आई. आर. का शमन दिनांक 06.06.2022 को जरिये रसीद संख्या 17 / 58 दिनांक 6.6.2022 राशि 75000/- से करा दिया गया है। अधीनस्थ साइट इंचार्ज को भविष्य में बिना स्वीकृति कार्य नही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

यूजर कम्पनी द्वारा उक्त उलंघन जानबूझ कर नही किया गया है अपितु लोक हित कार्य को मद्दे नजर रखते हुए अज्ञानवर्ष हो गया है। वन संरक्षण अधिनियम या अन्य नियम में कोई उल्लधन स्वरूप जो भी राशी राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा अधिरोपित की जावेगी उक्त धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करवा दी जावेगी।

अतः इस क्रम में निवेदन है कि उक्त पारेषण लाईन में कोई वृक्ष का पातन नही किया गया है। एवं जनहित कार्य को मद्दे नजर रखते हुए उक्त प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

ABC SOLAR (INDIA) PRIVATE LIMITED

संजय राजपुरोहित

ए.बी.सी. सोलर (इण्डिया) प्रा. लि.

जोधपुर

प्रतिहस्ताक्षर

उप वन संरक्षक

जोधपुर

CIN: U40106TG2015PTC151041

Regd. & Corporate Office: " H No. 6-3-680/8/3, PNO-03, 2nd Floor, PMR Plaza, Thakur Mansion Lane, Somajiguda, Hyderabad - 500082

Tel.: +91 - 40 – 2341 2312/13/15 Fax : +91-40 2341 2314, email: contact@axisenergy.in.

ABC SOLAR (INDIA) PRIVATE LIMITED
Formerly known as TBEA Solar (India) Private Limited

Full Title of the Project: Construction of 220kV S/C Transmission line on D/C towers laying between proposed ABCSIPL 300MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220kV GSS at Near Village - Badi Sird, Tehsil-BAP, District – Jodhpur in the State of Rajasthan.

Proposal No. : FP/R J/TRANS/153699/2022

Date of Proposal : 23/03/2022

Applied Forest Area : 0.1750 hectare

भविष्य में बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के वन भूमि में गैर वनिकी कार्य ना करने के संबंध में वचनवद्धता प्रमाण पत्र

मैं मैसर्स ए.बी.सी. सोलर (इंडिया) प्रा. लि. शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि भविष्य में फर्म द्वारा वन भूमि में बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई भी गैर वानिकी कार्य नहीं किया जायेगा इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं भविष्य में इस तरह के केस की पुनरावर्ती ना हो इसको सुनिश्चित किया जाएगा।

ABC SOLAR (INDIA) PRIVATE LIMITED

Place: Jodhpur

Date: 12.07.2023

ABC Solar (India) Private Limited

(Authorized Signatory)

Counter signed by:-

Divisional Forests Officer

Jodhpur Forest Division

प्रतिहस्ताक्षर

उप वन संरक्षक

जोधपुर

<u>कार्यालय उप वन संरक्षक जोधपुर</u>

Project Name : Diversion of 0.1750 ha. Forest Land for Construction of 220kV S/C Transmission line on D/C towers laying between proposed ABCSIPL 300MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220kV GSS at Near Village - Badi Sird, Tehsil-BAP, District – Jodhpur in the State of Rajasthan ((Total Length 11.540 km)

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/153699/2022

Category of the Project: Transmission Line

Area of forest land proposed for diversion (in ha.): 0.1750 Ha.

दिनांकः– **13.07.2023**

ए.बी.सी. सोलर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली को पावर ग्रीड सब स्टेशन तक पहुचानें हेतु 220KV. पारेषण लाइन प्रस्तावित की गई थी परन्तु PGCIL ग्रीड सब स्टेशन एवं ए.बी.सी. सोलर प्लांट के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (NH–15) गुजर रहा है एवं राजमार्ग का **R.O.W** रक्षित पट्टी घोषित किया हुआ है अतः ग्रीड सब स्टेशन एवं सोलर प्लांट के मध्य प्रस्तावित लाइन बिना राष्ट्रीय राजमार्ग को क्रॉस किये परियोजना का कार्य प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा पूर्ण नहीं किया जा सकता है।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैर वन भूमि में विद्युत पोलों/टावरों का निर्माण किया जा रहा था एवं प्रचलित राष्ट्रीय राजमार्ग को दोनों तरफ गैर वन भूमि में भी कम्पनी द्वारा टावरों का निर्माण कर दिया गया था एवं स्टाफ द्वारा कम्पनी के प्रतिनिधि को अवगत करवा दिया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ़ के पोल/टावर पर विद्युत तार वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रेषित कर स्वीकृति के उपरान्त ही किया जा सकता है अतः इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव दिनांक 26.03.2023 को परिवेश पोर्टल पर जरिये प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/153699/2022 के आवेदन कर दिया गया था।

उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रेषित करने के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 25.04.2022 को हार्ड प्रतिलिपी भी कार्यालय में प्रेषित कर दी गयी थी एवं इसी दौरान कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा 27.04.2022 को राष्ट्रीय राजमार्ग (NH–15) के दोनों तरफ गैर वन भूमि में स्थित टावरों पर तार खींचने का कार्य कर दिया गया।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव, गैर वानिकी कार्य करने से पहले प्रेषित कर दिये गये थे परन्तु प्रेषित प्रस्ताव में सक्षम स्तर से [illegible] नहीं हुई [illegible] उक्त कार्य वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

Signature valid
Digitally signed by Ajit Uchoi
Designation: Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.07.13 13:05:38 IST
Reason: Approved

कृ.पृ.उ.

उप वन संरक्षक
जोधपुर

RajKaj Ref No. : 4273909

दिनांक 28.05.2022 को वनपाल द्वारा अवगत करवाने के उपरान्त क्षेत्रीय वन अधिकारी बाप द्वारा उक्त कार्य को वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन मानने के कारण राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत एफ.आई.आर. जारी की गयी एवं प्रयोक्ता अभिकरण को समन करवाया गया तथा उल्लंघन/जुर्माना राशि अक्षरे 75,000/– प्रयोक्ता अभिकरण से वसूली गयीं।

चूंकि स्टाफ के द्वारा लाइन निर्माण कार्य करने के तुरंत बाद ही एफ.आई.आर काटी गयी थी एवं उच्च कार्यालय को भी इस संदर्भ में अवगत करवा दिया गया था इसलिए प्रथम दृष्टया स्टाफ दोषी प्रतीत नहीं होता है परन्तु स्टाफ को भविष्य में सजग रहने एवं इस तरह के कार्य की भविष्य में पुनरावर्ती ना हो इस सन्दर्भ में क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाप को निर्देशित किया गया है।

प्रस्तावित परियोजना लोकहित से जुडी हुई है एवं वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में कोई भी वृक्ष बाधित नहीं हुआ एवं उक्त कार्य प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल नियमों की जानकारी के अभाव में लोकहित में सम्पादित कर दिया गया है अतः लोकहित को मध्य नजर रखते हुए स्वीकृति की अनुशंषा इन शर्तो के साथ की जाती है कि :–

1. राजस्थान सरकार/भारत सरकार द्वारा उल्लंघन स्वरूप जो भी शर्ते/राशि अधिरोपित की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी शर्तो की पालना करनी होगी एवं अधिरोपित राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वहन की जावेगी।

2. भविष्य में इस तरह के गैर वानिकी कार्य की पुनरावर्ती ना हो इस आशय का प्रयोक्ता अभिकरण पृथक से वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

भवदीय

(अजीत उचोई)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by Ajit Uchoi
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.07.13 13:05:38 IST
Reason: Approved

उप वन संरक्षक
जोधपुर

RajKaj Ref No. : 4273909

कार्यालय उप वन संरक्षक जोधपुर

क्रमांकः—

दिनांकः— 13.07.2023

प्रस्ताव का विवरण : **"Diversion of 0.1750 ha. forest land for Construction of 220 kV S/C Transmission line on D/C towers laying between proposed ABCSIPL 300 MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220kV GSS at Near Village - Badi Sird, Tehsil-BAP, District – Jodhpur in the State of Rajasthan".**

प्रस्ताव संख्या : FP/RJ/TRANS/153699/2022

प्रस्ताव दिनांक : 23/03/2022

प्रस्तावित क्षेत्रफल : 0.1750 hectare

उल्लंघन स्वरूप अधिरोपित होने वाली शाष्ती का विवरण

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव 0.1750 हैक्टेयर के लिए प्रेषित किया गया है एवं सम्पूर्ण आवेदित वन क्षेत्रफल ही उल्लंघन की श्रेणी में आता है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करने पर उल्लंघित दिनांक से उल्लंघित क्षेत्र की एन.पी.वी. राशि प्रतिवर्ष की दर से अधिक 5 वर्षों तक मय 12 प्रतिशत ब्याज के साथ देय होगी।

अधिरोपित शास्ति का विवरण निम्नलिखित हैः—

उल्लंघन अवधि— 1 वर्ष 2 महीना

उल्लंघन क्षेत्रफल— 0.175 हैक्टेयर

एन.पी.वी. धनराशि— 6,70,140 /—

प्रस्तावित शास्ति— 2,34,549 /- (0.175 x 2x670140)

नोट :— प्रस्तावित शास्ति के अलावा प्रयोक्ता अभिकरण को 12 प्रतिशत ब्याज भी जमा करवाना होगा जिसकी गणना सैद्धान्तिक स्वीकृति के पश्चात डिमान्ड नोट जारी करने के दौरान उपलब्ध करवा दिया जावेगा।

भवदीय

(अजीत उचोई)

उप वन संरक्षक

Signature valid

Digitally signed by Ajit Uchoi
Designation: Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.07.13 13:05:38 IST
Reason: Approved

जोधपुर

RajKaj Ref No. : 4273909